



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2016-457 दिनांक : 19/08/20

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु कुल **रु0 324.338 लाख (तीन करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-20/2016-05/स्वी0 व0प0 दिनांक-30.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-28/2019-07/आ0 व0प0 दिनांक 05.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 324.338 लाख (तीन करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	310.843
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	13.495
कुल :-		324.338

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।



14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2016-457 दिनांक-19/08/20

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2016-457 दिनांक-19/08/20

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8274.45	300.00	8574.45
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	12.412	0.450	12.862
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	180	14.894	0.540	15.434
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	150	12.412	0.450	12.862
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	150	12.412	0.450	12.862
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150	12.412	0.450	12.862
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	190	15.721	0.570	16.291
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	200	16.549	0.600	17.149
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	180	14.894	0.540	15.434
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	180	14.894	0.540	15.434
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	60	4.965	0.180	5.145
योग :-		1590	131.565	4.770	136.335

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10590.06	500.00	11090.06
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	15.885	0.750	16.635
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	15.885	0.750	16.635
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	120	12.708	0.600	13.308
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	140	14.826	0.700	15.526
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	200	21.180	1.000	22.180
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50	5.295	0.250	5.545
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	190	20.121	0.950	21.071
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	150	15.885	0.750	16.635
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	160	16.944	0.800	17.744
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	60	6.354	0.300	6.654
योग :-		1370	145.083	6.850	151.933

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13677.54	750.00	14427.54
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	8.207	0.450	8.657
2	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	60	8.207	0.450	8.657
3	चतरा वक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	30	4.103	0.225	4.328
4	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	8.207	0.450	8.657
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	40	5.471	0.300	5.771
योग :-		250	34.195	1.875	36.070
योग :-		3210	310.843	13.495	324.338

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0ब0-20/2016-05/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.05.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**  
**योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3602.06	0.00	3602.06	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3128.65		3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1543.74		1543.74	
योग :-			32.16	8274.45	300.00	8574.45	

अनुलग्नक-


**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**  
**योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	5917.67	0.00	5917.67	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.16	3128.65	0.00	3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1543.74	0.00	1543.74	
योग-			41.16	10590.06	500.00	11090.06	

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-


**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**  
**योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	9005.15	0.00	9005.15	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3128.65		3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1543.74		1543.74	
योग :-			53.16	13677.54	750.00	14427.54	

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची





# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

यात्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निर्धारित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/2016/457

दिनांक - 19-Aug-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38116	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	3,650,400.00 रुपये छत्तीस लाख पचास हजार चार सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38119	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	3,077,900.00 रुपये तीस लाख सित्तीस हजार नौ सौ
योग:				6,728,300.00
क्रमिक योग:	रुपये सड़सठ लाख अठाइस हजार तीन सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	
Page 1 of 7	58,97,148.71	RANCH	Run Date: 19/8/2020	

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38122	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	3,332,700.00 रुपये तैतीस लाख बत्तीस हजार सात सौ
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38126	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,134,100.00 रुपये इकतीस लाख चौतीस हजार एक सौ
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38128	CTRFOR002 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	4,179,900.00 रुपये इकतालीस लाख उन्नासी हजार नौ सौ
योग:				10,646,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड तीहत्तर लाख पचहत्तर हजार		(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	17,375,000.00
Page 2 of 7		59.97.146.71	RANCH	Run Date: 19/8/2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	38131	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,101,600.00 रुपये इक्कीस लाख एक हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	38132	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	3,667,000.00 रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	38136	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	3,077,900.00 रुपये तीस लाख सित्त्वात्तर हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
योग:				8,846,500.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड बासठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ			26,221,500.00
		(NAND KISHORE SINGH)		
		ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND		

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38143	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	3,730,900.00 रुपये सैतीस लाख तीस हजार नौ सौ
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38145	LTRFOR004 VED PRAKASH KAMBOJ D.F.O. S.F.D LATEHAR	1,131,900.00 रुपये ग्यारह लाख इकतीस हजार नौ सौ
11	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38206	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	165,000.00 रुपये एक लाख पैंसठ हजार
योग:				5,027,800.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड बारह लाख उनचास हजार तीन सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	31,249,300.00
Page 4 of 7		09.97 148 71	RANCH	Run Date: 19/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38207	GRHFWL004  AVIROOP SINHA  D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	129,000.00  रुपये एक लाख उन्तीस हजार
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38208	PLMFOR070  RAHUL KUMAR IFS  D.F.O.MEDININAGAR OREST.DIV.	150,000.00  रुपये एक लाख पचास हजार
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38209	CTRFOR003  PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	137,500.00  रुपये एक लाख सैतीस हजार पाँच सौ
योग:				416,500.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड सोलह लाख पैसठ हजार आठ सौ			31,665,800.00
(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				
Page 5 of 7	58.97.148.71	RANCH	Run Date:	19/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38210	CTRFOR002  PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	190,000.00  रुपये एक लाख नब्बे हजार
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38211	KDMFORA01  SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	82,000.00  रुपये बयासी हजार
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38213	HZBFWL009  SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	155,000.00  रुपये एक लाख पचपन हजार
योग:				427,000.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड बीस लाख बयानवे हजार आठ सौ			32,092,800.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष वटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38214	HZBFWL005  PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	129,000.00  रुपये एक लाख उन्तीस हजार
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष वटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38215	GRHFWL003  SHYAM BIHARI PRASAD  DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	164,000.00  रुपये एक लाख चौसठ हजार
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष वटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	38216	LTRFOR004  VED PRAKASH KAMBOJ  D.F.O. S.F.D LATEHAR	48,000.00  रुपये अड़तालीस हजार

योग: 341,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ चौइस लाख तैतीस हजार आठ सौ 32,433,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND